

①

Dr. Honey Sinha
(Assistant Professor)
Dept. of Commerce
Sub: Auditing
paper - IInd

Lecture: 133

B.com Part - Ist

SNSRKS COLLEGE SAHARSA

Introduction :- INTERNAL CHECK AND AUDITOR.

(आन्तरिक निरीक्षण एवं अंकैक्षक)

*

किसी भी अंकैक्षक को किसी संस्था का अंकैक्षण करने के पूर्व उस संस्था की आन्तरिक निरीक्षण व्यवस्था का अध्ययन कर लेना चाहिए क्योंकि किसी संस्था का अंकैक्षण उसकी आन्तरिक निरीक्षण के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। एक सुदृढ़ आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली से अंकैक्षण का काम सरल हो जाता है। आन्तरिक निरीक्षण कि सुसंगठित व्यवस्था कि स्थिति में अंकैक्षक केवल परीक्षण जाँच से ही काम चला सकता है। आन्तरिक निरीक्षण की व्यवस्था दोषपूर्ण होने पर अंकैक्षण का कार्य आटल हो जाता है। उसे अधिक मेहनत करने कि आवश्यकता पड़ती है। अतः अंकैक्षक को अंकैक्षण का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व निम्नलिखित तथ्यों कि जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। :-

①

संस्था के आन्तरिक निरीक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। यह जानकारी संस्था के मालिक या प्रबंधकों

से प्राप्त हो जाती है।

2) अंकलण को यह पता लगा लेना चाहिए कि संस्था में आन्तरिक निरीक्षण के आव्धार पर कार्य का निष्पादन होता है या नहीं।

3) अंकलक को यह भी देख लेना चाहिए कि संस्था में प्रयुक्त आन्तरिक निरीक्षण की प्रणाली वर्तमान परिवेश में प्रयुक्त है अथवा नहीं।

4) आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली संस्था के स्वभाव तथा उसकी आवश्यकताओं के ही अनुख्य होनी चाहिए अतः अंकलण को यह पता लगा लेना चाहिए कि संस्था में यह बात उपलब्ध है या नहीं।

5) आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली का अवलोकन कर उसे यह पता लगाना चाहिए कि इस प्रणाली में कहां-कहां कमियाँ हैं तथा किन-किन स्तरों पर धूल-कपट व त्रुटियों की सम्भावना है।

6) अंकलक को आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली के उपयुक्ता का भी पता लगा लेना चाहिए अर्थात् उपयुक्त प्रणाली संस्था के लिए उपयुक्त है या नहीं।

उपरोक्त बातों पर ध्यान रखते हुए अंकलण यह निर्णय ले सकता है कि आन्तरिक निरीक्षण की प्रणाली जो संस्था में अपनायी जा रही है,

उपभुक्त है या नहीं। यदि उपभुक्त है तभी उसे उस प्रणाली पर विश्वास करना चाहिए अन्यथा नहीं। हाँ, प्रणाली का मूल्यांकन करते समय उसे बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, सावधानी तथा सतर्कता से काम लेना चाहिए। उसे यह विश्वास है कि संस्था में प्रभुक्त आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली उपभुक्त है तो उसे अंकेक्षण कार्य में काफी मदद मिलेगी। दूसरी ओर आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली दोषपूर्ण होने की स्थिति में अंकेक्षण को अंकेक्षक का कार्य करते समय बड़ी सतर्कता व बुद्धिमत्ता से काम लेना पड़ेगा। ताकि वह संस्था में त्रुटियों व धूल-कपटों (यदि हों) को ढूँढ सके। यदि अंकेक्षक इन बातों का ध्यान नहीं देता है अर्थात् वह लेखा पुस्तकों की सही व गहन जाँच नहीं कर पाता है तो इसके लिए वह व्यापक स्तर पर उतरदायी होगा। यदि अंकेक्षक को गलतियों व धूल-कपटों की जानकारी होती है तो उसे चाहिए कि उन गलतियों व धूल-कपटों से संस्था के मालिक या नियोक्ता को अवगत करा दे। तथा उचित सलाह भी दे दे। यदि उसकी सलाह को नियोक्ता नहीं मानता है या परवाह नहीं करता है तो इन बातों का जिक्र अंकेक्षण को प्रतिवेदन में मना कर देना चाहिए।

पुनः प्रश्न उठता है कि यदि संस्था की आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली संतोषप्रद हो तो क्या अंकेक्षक अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त हो सकता

है, इस प्रकार के प्रयोगों का उद्देश्य यह है कि
नहीं। हाँ, यह बात सत्य है कि प्रयोगों के
प्रणाली सुदृढ़ हैं तो अंकलक को अधिक कार्य में
सुविधा होती है। इसके विपरीत प्रणाली
निरीक्षण प्रणाली से संबंध नहीं रखते। प्रयोगों के
होने पर अंकलक को कहीं भी प्रयोगों की आवश्यकता
पड़ेगी। कार्य सरल हो जाएगा। कठिन प्रयोगों
जिम्मेदारी अंकलक पर बड़ी होती है।

अंकलक को सम्पूर्ण बातों की जानकारी
स्वयं करनी चाहिए। किसी प्रकार की सशुद्धि
रह जाने पर वह उत्तरदायी बनाया जा सकता
है। हालाँकि यह अंकलक का अपना इच्छित
हो सकता है कि वह सम्पूर्ण पुस्तकों की जानकारी
जोच करेगा या आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली पर
विश्वास कर कुछ ही लेखा-पुस्तकों की जोच
पड़ताल करके ही अपना प्रतिवेदन देगा। एक
अंकलक को इतनी स्वतंत्रता उपलब्ध है कि वह
अपना कार्य करने का तरीका स्वयं निर्धारित करे।
अथवा वह अपने उत्तरदायित्व का सीमा
का निर्धारण स्वयं नहीं कर सकता है।
अंकलक आन्तरिक निरीक्षण व्यवस्था पर विश्वास
कर अंकलक में परीक्षण जोच किसी बात का
अपने कार्य की मात्रा को कम नहीं कर सकता
है, किन्तु वैधानिक उत्तरदायित्व की भांति को
कम नहीं कर सकता। अंकलक के उत्तरदायित्व
निर्धारण और उनके बीच हुए समझौते में
अन्तर्धार पर उपलब्ध होते हैं, इन्हें अंकलक

किरी भी प्रकार कम नहीं कह सकता है। साथ ही साथ इनसे मुक्त भी नहीं हो सकता।

अतः संक्षेप में कह सकते हैं कि आन्तरिक निरीक्षण तपाली अंकलक को मानसिक परिशानियों से तो मुक्त कर सकती है किन्तु वैधानिक व उत्तरदायित्वों से मुक्ति नहीं देना सकती।

The end

Dr. Honey Sinha
(Assistant professor)
Dept. of Commerce
SNSRKS College
Saharsa